फर्द अहकाम

दिनांक	
16.12/15	पत्रावली पेश हुई / दोनों पक्षों के वकील उपस्थित है / तथा वादपत्र की प्रकरण सं. 160/10 (दावा) जिसकी विवादित भूमि इस प्रकरण को लगती है अतः दोनों प्रकरणों को कन्सोलीडेट किया जाकर एक साथ फैसला किया जाना उचित होगा / मुताबिक शील दोनों केसों की भूमि आपस में लगती है / अतः दावा सं. 152/11 को ~~शा~~ दावा सं. 160/10 में शामिल किया जावे / इस प्रकरण का निस्तारण दावा सं 160/10 में शामिल कर दोनों प्रकरणों का एक साथ निस्तारण किया जावेगा. पत्रावली फैसला मुताबिक नम्बर में कायम हो रहा शामिल दावा सं. 160/10 हो /

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.01.27 10:54:28 IST
Reason: SelfAttested